

Urgent

रक्षा लेखा महानियंत्रक

Controller General of Defence Accounts

उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt 110010

No. AN/XIII/13006/Vol-XXII

Dated 12.04.2016

To

All PCsDA/CsDA
PCAs/CFAs (Fys)
PIFAs/IFAs

(Through Website)

Subject: Declaration of Assets and Liabilities by public servants under section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act. 2013- filing of Returns by public servants on or before 15th April,2016-regarding.

Reference: This HQrs office letter bearing No. even dated 15.12.2015.

A copy of the DoP&T Notification no. 261 dated 11.04.2016 GSR 414(E) on the above subject is attached herewith for information, guidance, necessary action and compliance please.

Please acknowledge receipt.


Encl: As above


(T.K. Jajoria)

Sr. Dy. CGDA (Admin)

Copy to:
EDP Wing
(local)

For uploading on the website


(S K Sharma)
Sr. AO (Admin)


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2016/चैत्र 22, 1938

No. 261]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2016/ CHAITRA 22, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 414(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ड) के साथ पठित धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) संशोधन नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (2) में,—
 - (क) पहले परंतुक में "15 अप्रैल, 2016 को या उससे पूर्व" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) दूसरे परंतुक में "15 अप्रैल, 2016 को या उससे पूर्व" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (बी)]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

